सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 490 राँची, गुरुवार, 6 नवंबर, 2025 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

आदेश

31 अक्टूबर, 2025

संख्या-ख.नि.(खनन पट्टा)-32/2018-2459/एम.--झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश ज्ञापांकः-432/एम०, दिनांक-09.03.2019 के माध्यम से सर्वश्री उषा मार्टिन लि० द्वारा धारित विजय-IIलौह अयस्क खनन पट्टा को सर्वश्री टाटा स्पंज आयरन लि० को अंतरित करने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में उक्त खनन पट्टा के अवधि विस्तार का अनुरोध मेसर्स टाटा स्टील लि० द्वारा किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांकः-1146/एम०, दिनांकः- 29.10.2025 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मेसर्स टाटा स्टील लि० द्वारा आदेश ज्ञापांकः-432/एम०, दिनांक-09.03.2019 में उद्धृत कई शर्तों का अनुपालन नही किया गया है। उक्त के संदर्भ में विस्तृत जाँच हेतु जिन विभागों से संबंधित शर्तों का अनुपालन नही किया गया है, उन विभागों के पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए निदेशक, खान की अध्यक्षता में एक अंतरविभागीय समिति का गठन किये जाने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगी ।

अतः निदेशानुसार उक्त कार्य हेतु निम्न रूपेण एक समिति का गठन किया जाता है:-

1.	श्री राहुल कुमार सिन्हा, निदेशक, खान	-	अध्यक्ष
2.	श्री संजीव कुमार, अपर निदेशक, खान, राँची	-	सदस्य
3.	श्री गोपाल कुमार दास, उप निदेशक, खान, मुख्यालय	-	सदस्य
4.	श्री ज्योति शंकर शतपथी, उप निदेशक, खान, कोल्हान	-	सदस्य
5.	वन प्रमण्डल पदाधिकरी, सारण्डा वन प्रमण्डल	-	सदस्य
6.	अपर समाहर्ता, पश्चिमी सिंहभूम	-	सदस्य
7.	नामित पदाधिकारी, विधि विभाग	-	सदस्य

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-
सरकार के सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 490 - 50